



## सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक - एस.एस.वि.वि./कु.सं. 3136/2020

दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

### कार्यालय-ज्ञाप

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-ई.6317/8 जी.एस.(68)/2019(III) दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से संदर्भ संख्या-09/2020, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973 की धारा-68 के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति कार्यालय में विचाराधीन होने के कारण विश्वविद्यालय में विज्ञापन संख्या-01/2019 के अनुसार चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी कार्यवाही उक्त संदर्भ के निस्तारण तक स्थगित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

एतदर्थ उक्त निर्देश के अनुपालन में कुलपति जी के आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षक चयन से सम्बन्धित दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 से 01 नवम्बर, 2020 तक सम्पन्न होने वाली चयन समिति की बैठकें/अभ्यर्थियों के साक्षात्कार अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किए जाते हैं।

कुलसचिव  
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. माननीय कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उक्त से सूचित करा दें।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
6. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा/लेखा)।
7. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप विश्वविद्यालयीय वेब-साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करायें।
8. विनयाधिकारी।
9. जनसम्पर्क अधिकारी।
10. सम्बद्ध पत्रावली।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)  
सं.सं.वि.वि., वाराणसी